

सं०सं०-7/कुष्ठ-4-01/2018- 62(7)A

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।  
(सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 03-12-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल-₹9,31,22,716/- ( नौ करोड़ एकतीस लाख बाईस हजार सात सौ सोलह रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-19(7)ब दिनांक-14.06.18 एवं 53(7)ब दिनांक-11.10.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में मांग पत्र के आलोक में कुल-₹9,31,22,716/- ( नौ करोड़ एकतीस लाख बाईस हजार सात सौ सोलह रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210012000002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी।

4. राशि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।

6. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक- 21.5.2002, 379(9) दिनांक- 16.8.2002 एवं 73(9) दिनांक- 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने तथा उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।


②

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
11. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,


  
( राधेश्याम साह )  
सरकार के विशेष सचिव  
बिहार

जापांक : 62(7)A

पटना, दिनांक : 03 -12 -18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/संबन्धित कोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर निदेशक/सम्बन्धित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के विशेष सचिव  
बिहार

विवरण-1  
 वितीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित कुछ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड 20-2210012000002 के उपशीर्ष का अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन मत्ता (01-03)	मकान मत्ता (01-04)	परिवहन मत्ता (01-05)	चिकित्सा मत्ता (01-06)	अन्य मत्ता (01-07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	दूरभाष (13-03)	विद्युत प्रभार (13-04)	विधि प्रभार (13-05)	वर्दी/पोषाक (13-06)	किराया महशूल एवं कर (14-01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	आहार/पथ्य (21-03)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	अपर मुन्चिपदा, बक्सर	3100000	310000	620000	0	93000	62000	4185000	5000	0	0	0	0	1000	0	20000	0	4211000	108/25.10.18
2	अपर मुन्चिपदा, पटना	22000000	1540000	11000000	244024	660000	440000	25984024	10000	0	0	10000	0	1000	0	5000	0	26010024	281/26.10.18
3	अपर मुन्चिपदा, नालन्दा	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	20000	353/15.10.18
4	अपर मुन्चिपदा, गया	14000000	1400000	1400000	0	420000	280000	17500000	0	190000	0	10000	30000	0	0	0	400000	18130000	215/26.10.18
5	अपर मुन्चिपदा, बाँका	3000000	300000	600000	0	90000	60000	4050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4050000	277/24.10.18
6	अपर मुन्चिपदा, औरंगाबाद	4500000	450000	900000	0	135000	90000	6075000	38000	0	0	0	0	1000	0	0	0	6114000	272-273-62-26/25.10.18
7	अपर मुन्चिपदा, भागलपुर	6000000	600000	1200000	0	180000	120000	8100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8100000	362/25.10.18
8	अपर मुन्चिपदा, रोहतास	2000000	200000	400000	0	60000	40000	2700000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	2710000	126/3.10.18
9	अपर मुन्चिपदा, मुंगेर	12200000	1220000	1220000	0	361000	244000	15245000	25000	0	0	10000	15000	1200	0	20000	0	15316200	319/31.10.18
10	अपर मुन्चिपदा, सीतामढ़ी	2500000	250000	500000	0	75000	50000	3375000	0	0	0	10000	0	1000	75492	0	0	3461492	414/8.10.18
11	अपर मुन्चिपदा, समस्तीपुर	3700000	370000	740000	0	116000	74000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	264/10.11.18
	कुल	73000000	66400000	86800000	244024	2190000	1460000	92214024	88000	190000	10000	50000	45000	5200	75492	45000	400000	93122716	

(नौ करोड़ एकतीस लाख बाईस हजार सात सौ सोलह) ₹ 00 मात्र

*Q.116*

सरकार के विशेष सचिव  
 18/12

62309  
 08-12-18

## उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	450000000	352959500	73000000	425959500	24040500
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	50000000	35337950	6640000	41977950	8022050
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	81220000	70591900	8680000	79271900	1948100
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	316000	62000	244024	306024	9976
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	13968000	10609785	2190000	12799785	1168215
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	10152000	7080190	1460000	8540190	1611810
	योग 20-2210.01.200.0002.01 वेतन	605656000	476641325	92214024	568855349	36800651
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	200000	199916	0	199916	84
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	400000	235000	88000	323600	77000
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	900000	710000	190000	900000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	400000	250000	0	250000	150000
11	दूरभाष (0002-13-03)	200000	128500	10000	138500	61500
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	380000	330000	50000	380000	0
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	200000	155000	45000	200000	0
14	वर्दी / पोशाक (0002-13-06)	70000	64800	5200	70000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	300000	0	75492	75492	224508
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	3000000	0	0	0	3000000
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	500000	340000	45000	385000	115000
18	दवा भंडार (0002-21-02)	500000	240000	0	240000	260000
19	आहार / पश्या (0002-21-03)	1500000	1100000	400000	1500000	0
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	सविदा सेवारत (0002-28-02)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	614208000	480394541	93122716	573517257	40690743

62 (F) 9

03-12-18

सरकार के विशेष सचिव

